निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 33 / 2024 (राजस्थान लोक उपापन अधिनियम)

मैसर्स मन्नत कस्ट्रेक्शन जरिये प्रोपराईटर सुनील कुमार पुत्र श्री हवा सिंह निवासी प्लाट नम्बर 45 महावीर नगर द्वितीय, महारानी फार्म दुर्गापुरा, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

अधीक्षक एवं सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी एवं राजकीय रूकमणी देवी बैनी प्रसाद जयपुरिया, अस्पताल, जयपुर ।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व अधीक्षक एवं सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी एवं राजकीय रूकमणी देवी बैनी प्रसाद जयपुरिया, अस्पताल, जयपुर बाबत निविदा कमांक G.R.D.B.P. / Jaipuria/ Aett/speahth/2024-25/1592 दिनांक 08.08.2024

उपस्थित :–

1. श्री राजवीर सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. विभागीय पैरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक 17.03.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीक्षक एवं सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी एवं राजकीय रूकमणी देवी बैनी प्रसाद जयपुरिया, अस्पताल, जयपुर द्वारा निविदा कमांक G.R.D.B.P. / Jaipuria/ Aett/speahth/2024-25/1592 दिनांक 08.08.2024 से व्यथित हो कर यह प्रथम अपील पेश की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने उपस्थित हो कर जबाब पेश किया । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थी द्वारा एक निविदा कमांक 2024–25 / 1592 दिनांक 08.08.2024 को राजकीय रूकमणी देवी बैनी प्रसाद जयपुरिया, अस्पताल, जयपुर में वाहनों की पार्किग संचालन हेतु एक वर्ष के लिये उक्त निविदा जारी की गई थी। निविदा मे भाग लेने वाले इच्छित उम्मीदवारों एवं फर्मो को दिनांक 20.08.2024 तक ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक एवं निविदा खोलने की अन्तिम दिनांक 21.08.2024 निर्धारित की गई। अपीलार्थी फर्म द्वारा उक्त निविदा संख्या 2024–25 / 1592 में भाग लेने हेतु विपक्षी संस्था द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज ऑन लाईन विपक्षी संस्था के पोर्टल पर जमा करवा दिये गये, परन्तु विपक्षी संस्था द्वारा उक्त निविदा खोले जाने की निर्धारित दिनांक 21.08.2024 समय 1.00 पी एम तक उक्त निविदा नहीं खोली गई

जिला कलक्टर
जयपुर

तथा विपक्षी संस्था द्वारा अपने कार्यालय आदेश पत्र क्रमांक 2024/21672 दिनांक 22.07.2024 द्वारा उक्त निविदा को बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात विपक्षी संस्था द्वारा एक नई निविदा क्रमांक 2024–25/1675 दिनांक 22.08.2024 को जारी कर दी गई जिसमें निविदा फार्म ऑन लाईन भरने की अन्तिम दिनांक 05.09.2024 तथा तथा निविदा खोलने की अन्तिम दिनांक 06.09.2024 निर्धारित की गई। चूंकि विपक्षी संस्थान द्वारा अपने कार्यालय आदेश पत्र क्रमांक 2024–25/1672 दिनांक 22.07.2024 के द्वारा पूर्व में जारी की गई निविदा क्रमांक 2024–25/1592 दिनांक 08.08.2024 को निरस्त करने का आदेश बिना किसी कारण के जारी कर उक्त निविदा को निरस्त किया गया था जबकि उक्त निविदा क्रमांक 2024–25/1592 दिनांक 08.08.2024 को जारी की गई थी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के कार्यालय आदेश दिनांक 22.07.2024 को उक्त निविदा जारी नहीं की गई थी। इसलिए अप्रार्थी संस्था का उक्त आदेश 2024–25/1672 दिनांक 22.07.2024 आर टी पी पी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के विरूद्व होने एवं मनमाना होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। चूंकि विपक्षी संस्था द्वारा जारी की गई निविदा क्रमांक 2024–25/1675 दिनांक 22.08.2024 में टेण्डर की कीमत 20,00,000/– रूपये तथा टर्न ओवर 25,00,000/– रूपये की शर्त निर्धारित की गई है जो कि अप्रार्थी संस्था द्वारा पूर्व में जारी निविदा क्रमांक 1592 दिनांक 08.08.2024 में टर्न ओवर 50,00,000/–की शर्त निर्धारित की गई थी। जिसको अप्रार्थी संस्था द्वारा पीछे के आदेश से निरस्त कर दिया गया । इस प्रकार विपक्षी संस्था द्वारा पूर्व वर्ष 2022–23 में जारी निविदा क्रमांक 5733 दिनांक 12.07.2023 में टेण्डर की कीमत 14,00,000/–रूपये एवं टर्न ओवर 33.33 लाख रूपये की शर्त रखी गई थी। इस प्रकार विपक्षी संस्था द्वारा जारी की गई निविदा क्रमांक 2024–25/1675 दिनांक 22.08.2024 में टेण्डर की कीमत एवं टर्न ओवर पूर्व में जारी की गई निविदाओं से विरोधाभासी है । चूंकि वर्ष 2022–23 में जारी निविदा में टर्न ओवर 33.33 लाख रूपये की शर्त रखी गई थी। जबकि वर्ष 2024–25 में जारी की गई निविदा में टर्न ओवर की शर्त कम कर 25,00,000/–रूपये की रखी गई है जो विधि विरूद्व एवं मनमानी है इसलिए उक्त निविदा को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेन्ट के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि पूर्व में जारी निविदा प्रशासनिक कारणों से निरस्त की गई है। बी आर टी पी पी एक्ट की धारा 40 (ख) सपठित धारा 6 के अन्तर्गत यह बिन्दु अपील लगाने के क्षेत्र से बाहर है तथा उपापन समिति द्वारा किया गया कार्य सही व संस्थान के हित में है। निविदा की शर्त निरपेक्ष रूप से रखी जाती है इनके द्वारा किसी फर्म का योग्य अथवा अयोग्य होने को ध्यान में रख कर शर्तो का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है। अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील किस अधिनियम व किस धारा के तहत प्रस्तुत की गई है इसका कोई उल्लेख अपील मीमों में नहीं किया गया है। पूर्व निविदा वर्ष 2022 में जारी की गई थी और अब वर्तमान में ऑन लाईन बिड संख्या 1592 दिनांक 8.8.2024 में जारी की गई है। वर्ष 2024 की बिड के लिए मीटिंग में प्राप्त सुझावों के आधार पर वर्तमान परिस्थिति अनुसार नियम व शर्तो में

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बदलाव किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वर्ष 2022 के नियम व शर्ते ही लागू की जावे। बिड के नियम व शर्ते उपापन समिति/अधिकारी द्वारा अनुमोदित है। प्रत्यर्थी द्वारा जारी एवं खोली गई बिड/निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर